कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कोरबा छ०ग०

क्रमांक/स्था.नर्सिंग/2021/ 7456 कोरबा दिनांक : 07/07/2021

सूचना

विषयः– संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़ अंतर्गत प्रशिक्षित मितानीनों की ग्रा.स्वा. संयोजक महिला के पद पर आरक्षित रिक्त पदों पर सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु अनंतिम मेरिट सूची प्रकाशन कर दस्तावेज सत्यापन करने के संबंध मे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. अंतर्गत प्रशिक्षित मितानीनों की ग्रा.स्वा.संयोजक महिला के पद पर आरक्षित रिक्त पदों पर सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु संचालनालय स्वस्थ्य सेवायें छ.ग. के विज्ञापन क्रमांक/स्थापना नर्सिग/170/2021/229, नवा रायपुर, दिनांक 09.03.2021 द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के 146 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञाप्न प्रकाशित कर दिनांक 10.03. 2021 से 31.03.2021 तक ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर आमंत्रित किए गये थे।

उक्त विज्ञापन के संबंध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. का सूचना क्रमांक/03/नर्सिग स्था/170/2021/498(A) अटल नगर, दिनांक 17.06.2021 के परिपालन में दिनांक 27.06.2021 को परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में जिले के कुल 76 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, जिसमें 07 अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित पाये गये थे। जिससे जिले में कुल 69 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुये।

तदोपरांत अनंतिम मेरिट सूची विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in एवं कोरबा जिले के शासकीय वेबसाईट www.korba.gov.in पर प्रकाशित की गई है। अंनतिम मेरिट सूची के आधार पर सरल क्रमांक 01 से 69 तक के अभ्यार्थियों का **दस्तावेज सत्यापन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा मे दिनांक 14.07.2021 को समय प्रातः 11:00 बजे से आयोजित किया गया है।**

1. कोविड–19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए अनावश्यक भीड न हो इस उद्देश्य से समय निर्धारित की गई है, अतः समस्त अभ्यार्थी समय–सीमा का पालन करें एवं अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर दो गज की दूरी एवं हैंड सेनेटाईजर का प्रयोग करते हुए निर्धारित समय मे अनिवार्य रूप से उपस्थित होवें।
2. अभ्यार्थी अनिवार्य रूप से निम्नलिखित मूल दस्तावेजों एवं 02 स्व प्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होंगे एवं दस्तावेज निम्न क्रम मे व्यवस्थित कर प्रस्तुत करेंगेः–
    1. हाई स्कूल प्रमाण पत्र।
    2. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र।
    3. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह/24 माह प्रशिक्षण उतीर्ण सभी वर्षो की अंकसूची।
    4. छत्तीसगढ नर्सिग कौंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र।
    5. मितानीन के रूप में 05 वर्ष की कालावधि के लिये निरंतर/अवाधित कार्य का प्रमाण पत्र।
    6. मूल निवास प्रमाण पत्र।
    7. जाति प्रमाण पत्र।

8. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (केवल दिव्यांग अभ्यार्थियों के लिए)।
9. केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रवेश पत्र।

3. अभ्यार्थी अपने साथ पहचान पत्र हेतु आधार कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र अनिवार्य रूप से लावें।
4. कोविड–19 संक्रमण के चलते यदि कोई अपरिहार्य स्थिति निर्मित होती है, जिससे अभ्यार्थी का दस्तावेज सत्यापन मे उपस्थित होना संभव नही हो पा रहा है तो अभ्यर्थी किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप मे अधिकृत कर सकता है। अभ्यार्थी द्वारा अपने प्रतिनिधि को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए लिखित रूप से अधिकृत करेगा एवं अधिकार पत्र मे प्रतिनिधि के हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाना एवं अनुपस्थित रहने का कारण दर्शाया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अधिकृत व्यक्ति को दस्तावेज सत्यापन के समय अधिकार पत्र एवं अपना तथा अभ्यार्थी का परिचय पत्र भी मूल प्रति एवं अभ्यार्थी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा लिखित अधिकार पत्र नही होने की स्थिति मे किसी भी प्रतिनिधि को दस्तावेज सत्यापन हेतु मान्य नही किया जावेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कोरबा छ0ग0